तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./5234/2006/पाली भावाराम बनाम सुमेरसिंह	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित–

श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, अधिवक्ता, प्रार्थीगण

श्री राकेश अरोड़ा, अधिवक्ता, अप्रार्थी

–निर्णय–

दिनांकः– 31–07–2025

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली द्वारा प्रकरण संख्या–112/2001 बउनवानी सुमेर सिंह बनाम भावाराम में पारित निर्णय दिनांक 29–06–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज किया गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण निगरानीकार ने तर्क दिया कि अप्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अपंजीकृत इकरारनामें के आधार पर धारा 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत का पेश कर यह अनुतोष चाहा कि न्यायालय के आदेश के बिना विवादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल नही करें। उपरोक्त वाद का प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा जवाब मय प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी को आक्षेपित आदेश दिनांक 29–06–2006 के द्वारा खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जबकि वादपत्र की वस्तुस्थिति स्पष्ट है कि अप्रार्थी/वादी द्वारा इकरारनामें के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गयी थी। इस संबंध में विधिक स्थिति यह है कि इकरारनामें के आधार पर अनुतोष केवल मात्र सिविल न्यायालय द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय को इकरारनामें के आधार पर प्रस्तुत वाद पर सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त नहीं है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत जाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया गया है। प्रकरण में चूंकि यह स्थिति वादपत्र के अभिवचनों के माध्यम से स्वमेव प्रकट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र आराजी जैर के इकरारनामें के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी/वादी का वादपत्र खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 265 और 268 विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय किए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./5234/2006/पाली भावाराम बनाम सुमेरसिंह	नम्बर व तारीख

गए है और जवाब दावे के अनुसार खसरा नंबर 267, 269, 270 और 271 प्रतिवादी/निगरानीकर्ता ने अपनी खरीदशुदा होने का अभिकथन किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए ही वादग्रस्त भूमि का स्वरूप कृषि होने एवं अप्रार्थी/वादी को वादकारण हासिल होने के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को विधि सम्मत् तरीके से खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं होने से प्रार्थीगण की हस्तगत निगरानी याचिका खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय का अवलोकन किया।

हस्तगत प्रकरण में मंडल हाजा के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या गैरनिगरानीकार की ओर से प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है और क्या यह वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 11सीपीसी के तहत खारिज किए जाने योग्य है ?

दोनों पक्षों के तर्कों व अभिवचनों से यह स्पष्ट है कि वादी/अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि को जरिये विक्रय पत्र क्रय किये जाने एवं शेष भूमि के इकरारनामें के आधार पर विवादित आराजी में प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध आराजी जैर चिर स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण निगरानीकर्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधि में उपलब्ध प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को खारिज किया गया है। इस संबंध में विधि में स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के प्रयोजन से केवल वाद पत्र के अभिवचानों को देखा जाना होता है और जहां तक वाद हेतुक का प्रश्न है, सम्पूर्ण वादपत्र के अवलोकन से यदि वाद हेतुक प्रकट होता हो तो यह नहीं माना जा सकता कि वाद हेतुक का उल्लेख वाद पत्र में नहीं किया गया है। क्योंकि वाद हेतुक तथ्यों का समूह है जिसे सम्पूर्ण वाद के अवलोकन से समझा जाना आवश्यक है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आर्ड़र 7 नियम 11 के तहत दावा उसी स्थिति में खारिज किया जावेगा यदि (क) वाद हेतुक को प्रकट नहीं किया गया हो, (ख) अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो, (ग) वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्रों पर लिखा गया हो, (घ) वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो, (ड.) वादपत्र डुप्लीकेट में प्रस्तुत नहीं करना अथवा (च) नियम 9 की अनुपालना नहीं की गयी हो। जब आर्ड़र 7 नियम 11 का प्रार्थनपात्र इस बिन्दु पर आधारित हो कि वाद विधि द्वारा वर्जित है अर्थात निगरानी प्रार्थनापत्र का आधार आर्ड़र 7 नियम 11 का उपनियम (घ) हो तो उपनियम (घ) की शब्दावली "where the suit **appears from the statement in the plaint** to be barred by any law" पर ध्यान देना आवश्यक है।

प्रकरण में वादपत्र के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि का स्वरूप कृषि भूमि रहा है तथा उक्त आराजीयात् के बाबत् अप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 92ए, 188 के तहत वादपत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि आराजी जैर को जरिये इकरारनामा क्रय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./5234/2006/पाली भावाराम बनाम सुमेरसिंह	नम्बर व तारीख

की गई है तथा विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 268 एवं 265 का विक्रय पत्र अप्रार्थी/वादी के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है। उक्त तथ्यों की पुष्टि वादपत्र के अभिवचनों से होना जाहिर होता है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किये जाने का मुख्य आधार इकरारनामें के आधार पर वादपत्र की सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होने का लिया गया है। प्रकरण में चूंकि वादपत्र के पैरा संख्या 5 में अप्रार्थी/वादी द्वारा स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 268 एवं 265 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय किया जा चुका है तथा शेष आराजीयात् को जरिये इकरारनामें खरीद होने का कथन वादपत्र के पैरा संख्या 2 में किया गया है। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र के अभिवचनों को दृष्टिगत् रखते हुए ही वादपत्र राजस्व भूमि से संबंधित होने तथा वादपत्र के अनुतोष के संबंध में क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त होना अभिनिर्धारित करते हुए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज किया गया है। प्रकरण में चूंकि वादपत्र के अभिवचनों का निर्धारण प्रकरण में सम्यक् साक्ष्योपरान्त व समुचित परीक्षणोपरान्त विधि अनुसार गुणावगुण पर किया जाना है तथा मूल दावा अभी प्रारम्भिक स्तर पर है। विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए ही वादपत्र को प्रारम्भिक स्तर पर खारिज योग्य नहीं पाये जाने के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि नहीं होने से प्रार्थीगण की हस्तगत् निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।

परिणामतः हस्तगत् निगरानी खारिज की जाती है एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली द्वारा प्रकरण संख्या–112/2001 बउनवानी सुमेर सिंह बनाम भावाराम में पारित निर्णय दिनांक 29–06–2006 यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य